न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 10/2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........प्रार्थी

बनाम

1. श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री अपार सिंह (प्रोपराईटर एवं विक्रेता), मैसर्स रसमित एन्अरप्राइजेज, 805/21, श्री सुभाष स्टोर वाली गली, नगरा, अजमेर।
2. श्री धीरज कुमार मित्तल पुत्र श्री अशोक कुमार मित्तल, मैसर्स के आर सेल्स कॉर्पोरेशन, बी–70, राजधानी कृषि मण्डी, सीकर रोड, जयपुर।
3. मैसर्स रसमित एन्अरप्राइजेज, 805/21, श्री सुभाष स्टोर वाली गली, नगरा, अजमेर।

........अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

अभिभाषक : सुश्री रितिका जैन अप्रार्थीगण की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक– 10.07.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी प्रार्थनापत्र, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीद बिल असल फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद, खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र, अप्रार्थीगण द्वारा दिये गये विभिन्न दस्तोवज की प्रति प्रस्तुत की है।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.04.2024 को 03:15 पी एम पर बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री केसरी नन्दन शर्मा मैसर्स रसमित एन्अरप्राइजेज, 805/21, श्री सुभाष स्टोर वाली गली, नगरा, अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री दलजीत सिंह मौके पर उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान घी के 500 मिली के 30 पैकेट आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त घी की मिलावट का शक होने पर उसमें से नमूना जाँच हेतु घी के 500 मिली के 04 पैकेट, 880/– रूपयें श्री दलजीत सिंह को नगद देकर गवाह श्री अजय कुमार मोयल के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री दलजीत सिंह को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा घी को विक्रेता के सामने चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–4276 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा विक्रेता द्वारा नमूने के चौथे भाग की जाँच एन ए बी एल प्रयोगशाला में करवाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/2881 दिनांक 14.05.2024 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/494/एक्ट/2024/522 दिंनाक 09.05.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया घी अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। अभिहित अधिकारी द्वारा पुनः जाँच हेतु सूचित करने पर विक्रेता द्वारा पुनः जाँच हेतु अपील प्रस्तुत नहीं की गयी।

इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 17.04.2025 को प्रस्तुत कियाा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 17.04.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 20.06.2025 को सुश्री रितिका जैन ने वकालतनामा प्रस्तुत किया।

बहस की नियत दिनांक 03.07.2025 को वकील अप्रार्थी ने लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। अप्रार्थी ने अपने लिखित प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि प्रर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में निर्माता कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि नमूना जाँच हेतु क्रय किये उत्पाद के लेबल तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

द्वारा भरे गये फार्म Vए में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उक्त उत्पाद मैसर्स ओम सारथी डेयरी प्रोडक्टस लिमिटेड, तहसील व्यारा पिन 394650 जिला तापी (गुजरात) द्वारा निर्मित एवं पैक किया गया है। निर्माता कम्पनी, उत्पाद के निर्माण, गुणवत्ता, शुद्धता, घटक तत्व, प्रसंस्करण तकनीकी, भंडारण, लेबलिंग व वैद्यानिक अनिवार्यताओं के लिए भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। निर्माता कम्पनी की जानकारी होने के बावजूद भी पक्षकार नहीं बनाया जाना, न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंधन है तथा इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिवाद प्रारम्भ से ही विधिक दृष्टि से दोषयुक्त है। अप्रार्थीगण को विक्रय के समय नमूने के निम्न गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई जानकारी नही थी, नमूने की पैकेजिंग पूर्णतया सील्ड एवं सुरक्षित अवस्था में थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा भी रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य नहीं लिखा है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अप्रार्थीगण द्वारा नमूने से कोई छेड़छाड़ की गयी हो। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नमूने को निर्माता कम्पनी से पूर्णतः सील एवं सुरक्षित पैकिंग में बिल के माध्यम से क्रय किया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27(3) का उल्लंघन नहीं माना है, अतः अप्रार्थीगण उत्तरदायी नही है। इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80(ख)(2)(घ)(I) के अनुसार यदि नमूना सीलबन्द अवस्था में क्रय किया गया हो तथा उसे दुकान पर विक्रस हेतु रखा गया हो तो ऐसी स्थिति में उत्तरदायित्व उक्त खाद्य व्यवसायी का होगा जिसने उक्त उत्पाद का निर्माण किया हो तथा लेबल चस्पा किया। खाद्य विश्लेषक ने रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया है कि नमूने में किस प्रकार की foreign fat पायी गयी, उसकी मात्रात्मक व गुणात्मक संरचना क्या थी तथा विश्लेषण का आधार क्या था। इस प्रकार खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट संदेहास्पद है। प्रत्युत्तर में यह भी अंकित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा न तो अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट उपलब्ध करवायी गयी न ही रिपोर्ट को चुनौती देने वास्ते कोई नोटिस दिया गया। इस कारण रिपोर्ट के खिलाफ अपील किये जाने के अप्रार्थीगण के विधिक अधिकारों को हनन हुआ है तथा यह अधिनियम की धारा 46(4) के विपरीत है।

न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये लिखित प्रत्युत्तर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि चूकि प्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट Vए में उत्पाद के निर्माता एवं पैकिंगकर्ता का स्पष्ट रूप से अंकन किया है, अतः यह प्रार्थी के संज्ञान में है कि उक्त उत्पाद मैसर्स ओम सारथी डेयरी प्रोडक्टस लिमिटेड, तहसील व्यारा पिन 394650 जिला तापी (गुजरात) द्वारा निर्मित एवं पैक किया गया है। इसके बावजूद प्रार्थी द्वारा निर्माता कम्पनी या उनके किसी अधिकृत नॉमिनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 3 खुदरा विक्रेता (रिटेलर) है तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी को खाद्य अनुज्ञा पत्र के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 थोक विक्रेता/वितरक/खुदरा विक्रेता के रूप में व्यवसाय कर रहा है। स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा नमूना जाँच हेतु क्रय किये गये खाद्य उत्पाद (घी) का निर्माण, पैकिंग या लेबलिंग नहीं की गयी है तथा उत्पाद की गुणवत्ता व शुद्धता के लिए भी उत्तरदायी नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में नमूना जाँच हेतु क्रय किये गये खाद्य उत्पाद (घी) में निर्माता कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया जाना एक गम्भीर विधिक त्रुटि है। विचाराधीन परिवाद में

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

अतः विचाराधीन परिवाद में प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जाँच हेतु क्रय किये गये खाद्य उत्पाद (घी) की विनिर्माता कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाये जाने एवं खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों की पूर्णतया पालना नहीं किये जाने के कारण उक्त परिवाद विधिक दृष्टि से दोषयुक्त होने के कारण पुनः लौटाया जाकरप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अभिहित अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को निर्देश दिये जाते है कि परिवाद का पूर्णतया परीक्षण कर, सभी उत्तरदायी व्यक्तियों/कम्पनियों को पक्षकार बनाया जाकर पुनः परिवाद प्रस्तुत करे।

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर
4. श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री अपार सिंह (प्रोपराईटर एवं विक्रेता), मैसर्स रसमित एन्अरप्राइजेज, 805/21, श्री सुभाष स्टोर वाली गली, नगरा, अजमेर।
5. श्री धीरज कुमार मित्तल पुत्र श्री अशोक कुमार मित्तल, मैसर्स के आर सेल्स कॉर्पोरेशन, बी-70, राजधानी कृषि मण्डी, सीकर रोड, जयपुर।
6. मैसर्स रसमित एन्अरप्राइजेज, 805/21, श्री सुभाष स्टोर वाली गली, नगरा, अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी
अजमेर